उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-21/2020/56 /एक-1-2020-रा0-1
लखनऊ: दिनॉक: 20 अक्टूबर, 2020

<u>अधिसूचना</u>

जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र संख्या-5618/सात-भू0सु0/2019, दिनांक 30-10-2019 के आलोक में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा-2 सपठित धारा 101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम दासेपुर, परगना अठगांवा, तहसील पिण्डरा, जनपद वाराणसी स्थित ग्राम सभा की आरक्षित श्रेणी की नाली के रूप में दर्ज भूमि गाटा संख्या-81/0.0280 अर्थात् कुल 01 गाटा कुल रकबा 0.0280हे0 भूमि का सशुल्क श्रेणी परिवर्तन करते हुए श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह, निदेशक, साईं बाबा इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, वाराणसी की श्रेणी-1-क संक्रमणीय भूमि गाटा संख्या-76/0.0280हे0 अर्थात् कुल 01 गाटा कुल रकबा 0.0280हे0 से विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त भूमियों का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में जनहित व प्रधानमंत्री आवास योजना के दृष्टिगत किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) संस्था द्वारा लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन का मूल्य निर्धारित लेखा शीर्षक ''0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806- प्रकीर्ण प्राप्तियॉ'' के नाम जमा कराया जायेगा।

(3) कलेक्टर द्वारा ग्राम दासेपुर, परगना अठगांवा, तहसील पिण्डरा, जनपद वाराणसी स्थित विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा को प्राप्त संस्था की भूमि को नाली के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

(5) लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।

(6) कलेक्टर कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

आज्ञा से,
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 21/2020/56(1)/ एक-1-2020-रा0-1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।